



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266911  
CG-DL-E-15102025-266911

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4515]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 13, 2025/ आश्विन 21, 1947

No. 4515]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2025/ ASVINA 21, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4644(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1056(अ), दिनांकित 12.03.2020 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग 516ई को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 516ई के कोश्युरु से चपरातीपलेम और चपरातीपलेम से लंबासिंगी तक के डिजाइन किमी 120.000 से 205.000 तक के पेब्ड शोल्डर सहित दो लेन के 81.5584 किमी (तालिका-2) शुद्ध सङ्क की लंबाई और 1.016 किमी [0.1016 किमी लंबाई वाली, तालिका-4] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60 प्रतिशत दर पर और 10 करोड़ रु. या उससे अधिक लागत वाले 3.340 किमी (तालिका-3) बाइपास की लंबाई के उपयोग के लिए तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90 प्रतिशत पर, नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

## तालिका-1

वाहन का प्रकार (1)	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में) (2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

## तालिका-2

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीताराम राजू जिले के रामराजूपलेम गांव के रारा-516ई के किमी 143.470 पर	81.5584 [बाइपास की लंबाई (लागत $\geq$ 10 करोड़ रुपये) और संरचनाओं की लंबाई ( $> 60$ मीटर) को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :-

## तालिका-3

पथकर प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	पर मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है	
					लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीताराम राजू जिले के रामराजूपलेम गांव के रारा-516ई के किमी 143.470 पर	रारा-516ई का कृष्णादेवी पट्ट बाइपास	डिजाइन किमी 136.600 (एसएच-38 का मौजूदा किमी 29/312)	डिजाइन किमी 139.940 (ओडीआर का मौजूदा किमी 1/282)	3.340	20.13	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीताराम राजू जिले के रामराजूपलेम गांव के रारा-516ई के किमी 143.470 पर	0.1016*	1.016	पेब्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

\*व्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	कुल लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	147.8842	147.9858	बड़ा पुल	0.1016

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350.00 रु. (तीन सौ पचास रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5

भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचलित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण ऐंजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 599.40 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, सिविल कार्य जैसे कार्यकलाप प्रगति पर हैं तथा परियोजना का वित्तीय समापन अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12012/01/2025-एपी/टोल-ईएपी/ई-253719]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2025

**S.O. 4644(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide S.O. No 1056(E) dated 12.03.2020 issued under section 5 of National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the new National Highway 516E in the State of Andhra Pradesh to State Government of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government here by levies the fee at 60% (sixty percent) of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of **81.5584 Km** (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than the 60 m) of **1.016 km** (having length of **0.1016 km** (Table-4)) and at 90% of the base rate specified in Column (2) of the Table-1 for bypasses having length of **3.340 km** (Table-3) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of two lane with paved shoulder of Koyyuru to Chaparathipalem and Chaparathipalem to Lambasingi Section from design kilometer 120.000 to kilometer 205.000 of National Highway number 516E in the State of Andhra Pradesh and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type Of Vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 143.470 of NH-516E in Ramarajupalem village in Alluri Sitharama Raju District of the State of Andhra Pradesh	81.5584 [Excluding length of bypass (costing ≥Rs. 10 crore) and length of structure (> 60 m)]	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable	
					Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)
At km 143.470 of NH-516E in Krishna Ramarajupalem village in Devi Peta Alluri Sitharama Raju District of the State of Andhra Pradesh	Bypass of NH-516E	Design km 136.600 (existing km 29/312 of SH 38)	Design km 139.940 (existing km 1/282 ODR)	3.340	20.13	90% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-I above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 143.470 of NH-516E in Ramarajupalem village in Alluri Sitharama Raju District of the State of Andhra Pradesh	0.1016*	1.016	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-I above

\*The details are as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	147.8842	147.9858	Major Bridge	0.1016

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 350.00/- (Rupees Three Hundred and Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty Four Hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicle and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is **Rs. 599.40 crore**. The Capital cost is subjected to variation as activities of the land acquisition, rehabilitation and resettlement, civil works are in progress and financial closure of the project is yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RW/NH-12012/01/2025/AP/Toll-EAP/E-253719]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.